न्यायालय :– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बाली जिला– पाली राजस्थान।

पीठासीन अधिकारीः– **सत्येन्द्र प्रकाश चोटिया,**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग) UID RJ 00696

जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः– 30/2026

मीठाराम पुत्र सुरमारामजी, उम्र 43 वर्ष,
निवासी कोयलवाव, पुलिस थाना नाना, जिला पाली, राजस्थान।
(वर्तमान में दिनांक 05.05.2026 से सबजेल, बाली में निरूद्ध)

.....**प्रार्थी/अभियुक्त।**

बनाम

राजस्थान राज्य।

जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 08/2026–27 आबकारी निरोधक दल, बाली, जिला– पाली। अपराध अन्तर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950

उपस्थितः–

1. श्री विक्रम सिंह सोलंकी, श्री श्रवणसिंह राठौड़, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त।
2. श्री दिनेशचन्द्र माथुर, विद्वान अपर लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

–:: आदेश ::– दिनांकः– 12.05.2026

1. यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुआ है, जिस पर अनुसंधान पत्रावली तलब की गई।

2. प्रार्थी/अभियुक्त ने इस प्रार्थना पत्र के जरिये 08/2026–27 आबकारी निरोधक दल, बाली, जिला– पाली, राजस्थान अपराध अन्तर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 में नियमित जमानत हेतु निवेदन किया है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह नियमित जमानत प्रार्थना पत्र मुख्य रूप से इन आधारो पर प्रस्तुत किया गया है कि उक्त अनवान प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध झूॅठा मुकदमा बनाया है तथा प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष व्यक्ति है। प्रार्थी/अभियुक्त

पर जो आरोप लगाये गये है उनकी सजा मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास नहीं है तथा प्रकरण प्रथम श्रेणी दण्ड़नायक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया कोई अपराध बनना नहीं पाया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त प्रकरण में मात्र शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का बरामदशुदा शराब से कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त इस माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निवास करता है तथा उनकी चल व अचल सम्पति भी उनके निवास स्थान पर स्थित है तथा उनके कही पर भागकर जाने का अन्देशा नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त शहादत इस्तगासा के गवाहान को टेम्परविथ नहीं करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त नवयुवक है। उसके जैल में रहने से जैल का उस पर बुरा प्रभाव पडेगा। प्रकरण के अनुसंधान व अन्वीक्षा में समय लगेगा तथा प्रार्थी/अभियुक्त के न्यायिक अभिरक्षा में रहने से वह अपनी पेरवी से मेहरूम रह जावेगा। प्रार्थी/अभियुक्त गत 2–3 दिन से पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्त पर उसका पूरा परिवार आश्रित है तथा उसके जैल में रहने से उसके परिवार वाले भूखे मर जायेंगे। उक्त प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी शेष नहीं है। अनुसंधान के क्रम में अनुसंधन अधिकारी को प्रार्थी की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। प्रार्थी/अभियुक्त श्रीमानजी के आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने को तैयार है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का नियमित जमानत आवेदन स्वीकार फरमाकर मौतबिर जमानत पर रिहा करने का आदेश फरमाया जावे।

4. बहस जमानत आवेदन पत्र सुनी गई।

5. दौराने बहस जमानत प्रार्थना पत्र विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि प्रार्थी/ अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के सचेतन कब्जे से अवैध हथकड शराब की झूठी बरामदगी होना बताया गया है। उसके विरूद्ध अन्य कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 05.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है एवं प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना है। अंत में उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. वहीं विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्रार्थी/अभियुक्त के सचेतन कब्जे से कुल 52 लीटर अवैध हथकड शराब बरामद होने के फलस्वरूप प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज करने का निवेदन किया।

7. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

8. पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त मिठाराम के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अलावा अन्य कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नही होना प्रकट हुआ है।

9. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 22.05.2025 को दौराने रेड गस्त करते हुए कुरण में प्रहराधिकारी को मुखबीर खास द्वारा मिली गुप्त सूचनानुसार गॉव कोयलवाव में स्थित मिठाराम के कब्जे शुदा रहवासीया मकान पर पहुंचे तो मकान का दरवाजा खुला मिला। मकान की तलाशी हेतु मौके से स्वतन्त्र मौतबिर की तलबी चाही गई पर वहां पर कोई स्वतंत्र मौतबिर नहीं बनने से प्रहराधिकारी ने जाब्ते में से श्री नारायण सिंह व श्री गोविन्द दान सिपाही को उनकी सहमति से मौतबिर मामूर कर आपसी जामा तलाशी ले देकर रूबरू मौतबिरान तलाशी हेतु मकान के बाहर से आवाज लगाने से मकान के दरवाजे से एक व्यक्ति बाहर आया नाम पता पूछा तो उसके अपना नाम मिठाराम पुत्र श्री सुरमाराम निवासी कोयलवाव पीएस नाणा जिला पाली (राज.) का मूल निवासी बतलाया, सूचना से अवगत कराकर मकान की तलाशी हेतु रूबरू मकान में प्रवेश किया तो दौराने तलाशी मकान के एक कोने में रखे दो प्लास्टिक जरिकन भरे मिले जिनको रूबरू मौतबिरान प्रहराधिकारी ने ढक्कन खोल कर देखा सुंगा, गवाहन को भी दिखाया सुन्गाया तो उसने क्रमशः करीबन 35 व 17 लीटर कुल 52 लीटर नाजायज हथकड शराब भरी बरामद हुई उक्त नाजायज हथकड शराब को मिठाराम द्वारा मकान में परिवहन करने/रखने का आबकारी अधिनियम 1950 की जुर्म धारा 16/54 का दंडनीय अपराध कारित करने से प्रहराधिकारी ने शराब से भरे जरिकनों से रेंडमली 01, 01 साफ कांच का पव्वा नाजायज हथकड शराब से भर कर मार्का A1 व B1 अंकित किया। शेष नाजायज हथकड शराब को दोनों जरिकनों में रहने दिया जा कर बतौर वजह सबूत मालखाना दोनों जरिकनों को मार्का A व B अंकित कर हाजरीन के दस्तखती युक्त चिटो से सिल चिट मोहर चस्पा कर कब्जे राज लिया। मौके पर जप्ति, बरादमगी की सम्पूर्ण कार्यवाही प्रहराधिकारी के मोबाईल से ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिग कर वास्ते साक्ष्य हेतु रखा गया। अभियुक्त मिठाराम को जुर्म से आगाह कर बाद पुछताछ गिरफ्तार किया गया.....आदि। उक्त रिपोर्ट पर आबकारी निरोधक दल, बाली में मुकदमा संख्या

08/2026–27 अपराध धारा– 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 में दर्ज किया गया। दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त को जुर्म धारा–16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत गिरफ्तार कर सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिस पर प्रार्थी/अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। विद्वान विचारण द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जरिये आदेश दिनांक 05.05.2026 को अस्वीकार कर खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर हस्तगत जमानत आवेदन इस न्यायालय में पेश किया गया है।

10. अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रकट होता है कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के सचेतन कब्जे से उसके रहवासीय घर से कुल 52 लीटर हथकड शराब बरामद किये जाने के फलस्वरूप उसके विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 16/54 का अपराध किया जाना प्रमाणित होना पाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त की बरामदगी के समय मौके पर गिरफ्तारी की गई है। प्रार्थी/अभियुक्त के सचेतन कब्जे से कुल 52 लीटर हथकड शराब बरामद हुई है। हथकड शराब के सेवन से कई दुखान्तिका भी घटित हुई है। हथकड शराब के सेवन से मृत्यु होने की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। हथकड शराब की भारी मात्रा को कब्जे में रखने के प्रकरण में यदि जमानत का लाभ दिया जाता है तो हथकड शराब बनाने एवं कब्जे में रखने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है जो किसी भी तरह से समाज के लिए लाभदायक होना नहीं माना जा सकता है।

11. अतः न्यायालय मतानुसार प्रकरण के समस्त तथ्यो एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर बिना कोई टिप्पणी किये हथकड शराब की भारी मात्रा में बरामदगी मात्रा को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार योग्य होने के फलस्वरूप अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

12. परिणामस्वरूप प्रार्थी/अभियुक्त मीठाराम पुत्र सुरमाराम, उम्र 43 वर्ष, निवासी कोयलवाव, पुलिस थाना नाना, जिला पाली (राजस्थान) की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 08/2026–27 आबकारी निरोधक दल, बाली, जिला– पाली (राजस्थान) अपराध अन्तर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 में प्रस्तुत प्रथम

नियमित जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(सत्येन्द्र प्रकाश चोटिया)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बाली, जिला–पाली (राज.)।

13. आदेश आज दिनांक 12.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्येन्द्र प्रकाश चोटिया)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बाली, जिला–पाली (राज.)।